CENTRE FOR AMBITION
(An Institute for Civil Services)

Current Affairs
May-2018
Vol.-I

⇒ **ब्लू ओरिजिन न्यू शेपर्ड**

- न्यू शेपर्ड एक पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य रॉकेट प्रणाली है जिसमें कैप्सूल और बूस्टर शामिल है। बूस्टर अपने रॉकेट इंजन के लिए धन्यवाद देता है जबकि कैप्सूल पैराशूट से लैस होता है। वाहन की क्षमताओं से कैप्सूल को तीन मिनट तक माइक्रोग्राइटी की स्थिति में रखना संभव हो जाता है, जो न केवल पर्यटकों को बल्कि शोधकर्ताओं से अपील करना चाहिए। नासा ने अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपने कुछ वैज्ञानिकों को भेजने में भी रुचि व्यक्त की है।

- नीली उत्पत्ति मनुष्यों को उपग्रहों से पहले अंतरिक्ष में भेज देगी ब्लू ओरिजिन ने अपने नए शेपर्ड वाहन के 2018 में पहले परीक्षण किए। यह एक उड़ान में 107 किमी की ऊंचाई पर पहुंच गया जिसने एक वास्तविक मिशन के मानकों को दोहराया। यह उड़ान न्यू शेपर्ड जहाज के लिए 7 वां था। यह अपने परीक्षण हार्डवेयर के अलावा एक पेलोड जहाज करने वाला दूसरा भी था। नासा, तीन विश्वविद्यालय और एक कंपनी बोर्ड पर अपना अनुभव डाल सकती थी। इन परीक्षणों की अच्छी प्रगति इस साल के अंत में चालक दल के साथ पहले परीक्षणों का मार्ग प्रशस्त करती है।

- ब्लू ओरिजिन का शेड्यूल कंपनी को एक अद्वितीय स्थिति में रखता है: नया शेपर्ड कक्षीय रॉकेट न्यू ग्लेन से पहले परिचालित होगा। दूसरे शब्दों में, ब्लू ओरिजिन उड़ने वाले उपग्रहों से पहले पुरुषों को उड़ाना चाहता है। यद्यपि ये उपनगरीय उड़ानें हैं, वर्जिन गैलेक्टिक ने दिखाया है कि वे जोखिम के बिना नहीं हैं। लेकिन हमें यह कहकर आश्वस्त किया जा सकता है कि ब्लू ओरिजिन की वास्तुकला इसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है: समस्याओं के मामले में बूस्टर को तेजी से हटाने के लिए कैप्सूल प्रोपल्सन सिस्टम से लैस हैं ।

⇒ **नया शेपर्ड इंसानों को इस साल के शुरू में अंतरिक्ष में ले जा सकता है**

- एक नया शेपर्ड रॉकेट क्रू कैप्सूल 2.0 नामक निवासित कैप्सूल का एक नया संस्करण लेकर उड़ गया। उड़ान पूरी तरह से चला गया। नया शेपर्ड धीरे-धीरे पीछे हटने से वापस आया, जबकि कैप्सूल ने धरती पर लौटने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया। क्रू कैप्सूल 2.0 में पिछले संस्करणों में कुछ सुधार हैं, जिनमें बड़ी खिड़कियां शामिल हैं, जो समझ में आता है जब हमें याद है कि यह अंतरिक्ष पर्यटन है कि ब्लू ओरिजिन इस लॉन्चर के साथ लक्षित है। साथ में, नया शेपर्ड रॉकेट और इसके कैप्सूल पांच यात्रियों को सौ किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा, इसलिए तकनीकी रूप से अंतरिक्ष में। इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए, छोटे रॉकेट में एक एकल बीई -3 इंजन होता है जो 110 सेकंड के लिए हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन जलता है। एक नया वापसी और इसलिए आसान पुनः उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नया शेपर्ड चार फीट और 8 एयरब्रैक से लैस है। उड़ान केवल दस मिनट तक चलती है। संभावित ग्राहकों की लागत और संख्या ब्लू ओरिजिन के लिए उपनगरीय उड़ानों से लाभ उठाने के लिए निर्णायक होगी। नासा पहले से ही दिलचस्पी लेता है: 1 9 दिसंबर, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने वास्तव में घोषणा की है कि उसने माइक्रोग्राइटी में प्रयोग करने के लिए ऐसी वाणिज्यिक उड़ानों पर वैज्ञानिकों को भेजने की योजना बनाई लेकिन उड़ान की अवधि दी गई, एक उड़ान शून्य जी विमान एक ही बात होगी।

⇒ **NASA ने धरती के जल चक्र का पता लगाने के लिए प्रक्षेपित किए दो यान**

- नासा (NASA) ने धरती के जल चक्र का पता लगाने के लिए दो विशेष अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण किया है. ग्रैविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो - ऑन (ग्रेस - एफओ) के नाम से जाना जाने वाला यह मिशन वास्तव में नासा और जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (जीएफजेड) का एक संयुक्त मिशन है. गौरतलब है कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों ने कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से स्पेसएक्स कंपनी के फॉल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरी. मिली जानकारी के अनुसार ये अंतरिक्ष यान 5 पांच इरिडियम नेक्स्ट संचार उपग्रहों के साथ रवाना किए गए हैं. उपग्रहों को नियंत्रित करने वाले ग्राउंड स्टेशनों ने ग्रेस - एफओ के दोनों अंतरिक्षयानों से सिग्नल प्राप्त कर लिए हैं.
- वैज्ञानिकों के अनुसार शुरुआती डेटा प्राप्ति की प्रक्रिया दर्शाती है कि ये उपग्रह उम्मीद के मुताबिक काम कर रहे हैंएफओ उपग् - नासा ने बताया कि ग्रेस .रह अभी करीब 490 किलोमीटर की दूरी पर हैं और प्रति सेकेंड 7.5 किलोमीटर का सफर तय कर रहा हैइसके अलावा वह एक ध्रुवीय कक्षा में है जहां वह . प्रत्येक90 मिनट में धरती का चक्कर लगा रहे हैंनासा के साइंस मिशन निदेशालय के सहयोगी प्रशासक . हा कि ग्थॉमस जुरबुकेन ने करेस एफओ यह जानने में मदद करेगा कि हमारा जटिल ग्रह कैसे काम - .करता है उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है क्योंकि इस मिशन के जरिए धरती के जल चक्र के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर रखी जाएगीएफओ के डेटा का इस्तेमाल विश्वभर के लोगों के जीवन - ग्रेस . धार लानेमें सु के लिए किया जाएगाइससे सूखे के दुष्प्रभावों का बेहतर पूर्वानुमान लगाने से लेकर जल . .गुणवत्ता की जानकारी जुटाई जा सकेगी - प्रबंधन एवं प्रयोग की उच्च

⇒ **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018**

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दूरसंचार विभाग (DOT) ने नई दूरसंचार नीति का मसौदा, **'राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018'** के नाम से जारी किया है। ध्यातव्य है कि इसके तहत, वर्ष 2022 तक 40 लाख नए रोजगार सृजन करने के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य के साथ ही अन्य कई सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस नई पॉलिसी के ड्राफ्ट के तहत, टेलिकॉम सेक्टर को कर्ज से उबारने पर ध्यान दिया गया है।
- इसके साथ ही टेलिकॉम कंपनियों की लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क की समीक्षा भी की जाएगी।
- नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में कारोबार को आसान बनाने पर भी ज़ोर दिया गया है।
- नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में निम्नलिखित लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है
- 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों को 1 gbps ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान कराना ।
- 2022 तक 10 gbps ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान कराना।
- टेलिकॉम सेक्टर में 100 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करना।
- 50 mbps स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करवाना।
- 40 लाख नए लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना।
- 2020 तक यूनिक मोबाइल सब्सक्राइबर घनत्व (unique mobile subscriber density) को 55 तथा 2022 तक 65 तक बढ़ाना।
- नई पॉलिसी के ड्राफ्ट के तहत, **'राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान'(National Broadband Mission)** की स्थापना की बात कही गई है, जो USOF और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के वित्त पोषण माध्यम से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड की पहुँच सुनिश्चित करेगा।

- इसके साथ ही नई नीति के तहत, भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (SCT) को मज़बूत करने के बारे में भी उल्लेख किया गया है।
- 50 प्रतिशत घरों तक लैंडलाइन ब्रॉडबैंड की पहुँच सुनिश्चित करना तथा लैंडलाइन पोर्टेबिलिटी सेवाएँ प्रारंभ करना।
- नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में डिजिटल संचार के लिये टिकाऊ और किफायती पहुँच सुनिश्चित करने हेतु "स्पेक्ट्रम की इष्टतम मूल्य निर्धारण"(Optimal Pricing of Spectrum) की नीति अपनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
- नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में अगली पीढ़ी के नेटवर्क के लिये मिड बैंड स्पेक्ट्रम, विशेष तौर पर 3 GHz से 24 GHz रेंज को पहचानने का प्रस्ताव निहित है।
- बढ़ती मांग को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन के अनुसार **E** (71-76/81-86 GHz) और **V** (57-64 MHz) बैंड में मोबाइल टावरों के बीच संकेतों को प्रेषित करने के लिये उच्चतम रोडमैप का रेखांकन किया गया है।
- नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में ऋण के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र को उबारने का प्रयास भी शामिल है।
- ऋण के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र को उबारने के लिये दूरसंचार कंपनियों की लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क की समीक्षा करना इस ड्राफ्ट में शामिल है। गौरतलब है कि इन सभी शुल्कों के कारण दूरसंचार सेवा की लागत बढ़ती है।
- डिजिटल संचार उपकरण, बुनियादी ढाँचें और सेवाओं पर कर तथा लेवी को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव भी इस ड्राफ्ट में निहित है।
- नई पॉलिसी के ड्राफ्ट का मुख्य उद्देश्य निवेश, नवाचार और उपभोक्ता हित को प्रभावित करने वाले विनियामक बाधाओं और नियामक बोझ को कम करना है।

निष्कर्ष: विभिन्न सेवाओं की आपूर्ति के लिये संचार आज सबसे अहम घटक है। संचार क्षेत्र के लिये एक व्यवस्थित बाज़ार और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा वाले माहौल का होना अति आवश्यक है। भारत, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार उपभोक्ता बाज़ार है और इसमें दुनिया का सबसे सफलतम दूरसंचार बाज़ार बनने की क्षमता है। यदि 2022 तक भारत इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के आईसीटी विकास सूचकांक (ICT) में 134वाँ रैंक के साथ 50 शीर्ष देशों में शामिल हो जाएगा किंतु इसके लिये विभिन्न मंत्रालयों के बीच बड़े समन्वय की आवश्यकता होगी और सरकार द्वारा इस नीति के सुचारु क्रियान्वयन के साथ ही टेलिकॉम क्षेत्र में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति करना भी आवश्यक है, ताकि इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाई जा सके।

⇒ डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट; विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 10 भारत में

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से जारी विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप-20 में से 10 शहर भारत के हैं. डब्ल्यूएचओ ने 2008 से 2013 के बीच दुनिया के विश्व के 67 देशों के 795 शहरों के प्रदूषण का अध्ययन करने के यह सूची तैयार की है.

- डब्ल्यूएचओ ने प्रदूषण मापने के लिए पीएम स्तर 2.5 को मानक मानकर यह सूची बनाई है।
- भारत के 10 शहर विश्व के 20 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। डब्ल्यूएचओ की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में थे।

प्रमुख बिंदु

- इस सूची के अनुसार अब दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ईरान का **जाबोल** है। यहाँ पीएम 2.5 का वार्षिक स्तर 217 पाया गया.

- इससे पहले दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहर था, जो अब 11वें स्थान पर है। नई दिल्ली में वायु की गुणवत्ता को पीएम 2.5 (अति सूक्ष्म कणों) की मौजूदगी से मापा गया जिसका वार्षिक औसत 122 है।
- टॉप-10 में भारत के चार शहर हैं—ग्वालियर को दूसरा और इलाहाबाद को तीसरा स्थान मिला है, जबकि पटना छठे और रायपुर सातवें स्थान पर है।
- ग्वालियर में पीएम 2.5 का वार्षिक स्तर 176, इलाहाबाद में 170, पटना में 149 तथा रायपुर में 144 है.
- भारत के लुधियाना, कानपुर, खन्ना (पंजाब स्थित एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी), लखनऊ और फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश स्थित देश में चूड़ियों व अन्य कांच के सामान का सबसे बड़ा निर्माण केंद्र) भी प्रदूषित शहरों की सूची में क्रमशः 12, 15, 16, 17 और 18वें स्थान पर हैं।
- केवल असम का तेजपुर ही ऐसा शहर है जहां प्रदूषण का स्तर मानक सीमा के दायरे में है।
- टॉप-20 प्रदूषित शहरों में पाकिस्तान का केवल एक शहर पेशावर है, यह 20वें स्थान पर है।
- इस सूची में उत्तर प्रदेश के आगरा, बनारस, झांसी, कानपुर, लखनऊ आदि शहर इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर, कोरबा और रायगढ़ तथा मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, सिंगरौली इत्यादि शहर इस सूची में शामिल है।
- 1.4 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाले चयनित **मेगा शहरों** में नई दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित है। इस वर्ग में मिस्र की राजधानी काहिरा और बांग्लादेश की राजधानी ढाका क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। रोम, बर्लिन, मेड्रिड और लंदन में भी स्थिति बेहतर नहीं है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 40 करोड़ घरों में अभी तक प्रकाश के लिए मिट्टी के तेल के दियों और लैंपों का इस्तेमाल होता है। पर्यावरण के नजरिये से यह बेहद हानिकारक है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत के साथ बांग्लादेश और चीन के अधिकांश शहर गलत दिशा में जा रहे हैं। कचरा जलाना इन शहरों में आम है जो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हर शहर में वायु प्रदूषण के लिए अलग-अलग कारण जिम्मेदार है, जैसे- न्यूयार्क में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बड़े भवनों में इस्तेमाल की जाने वाली वातानुकूलन प्रणाली है।

दुनिया के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहर/पीएम 2.5 का स्तर

1. जबोल/217, 2. ग्वालियर/176, 3. इलाहाबाद/170, 4. रियाद/156, 5. अल जुबैल/152, 6. पटना/149, 7. रायपुर/144, 8. बमेंदा/132, 9. जिंगसिया/128 और 10. बोडिंग/126.

विषाक्त वायु में सांस ले रहे 80 प्रतिशत शहरी

- डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 80 प्रतिशत शहरी लोग जहरीली हवा में साँस ले रहे हैं.
- निम्न और माध्यम आय वाले एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले विश्व के 98 प्रतिशत शहरों में स्थिति चिंताजनक है. इस शहरों में पिछले पांच वर्षों में वायु प्रदूषण में पांच गुना वृद्धि हुई है.

क्या है पीएम 2.5

- डब्ल्यूएचओ ने यह रिपोर्ट पर्टिकुलेट मैटर 2.5 (पीएम) के आधार पर बनाई है। पीएम 2.5 हवा में फैले अति सूक्ष्म खतरनाक कण हैं।

- 2.5 माइक्रोग्राम से छोटे इन कणों को पर्टिकुलेट मैटर 2.5 या पीएम 2.5 कहा जाता है।
- प्रत्येक क्यूबिक मीटर हवा में पीएम 2.5 कणों के स्तर के आधार पर प्रदूषण का आकलन किया जाता है।
- लंबे समय तक पीएम 2.5 के संपर्क में रहने से फेफड़े के कैंसर, हृदयाघात और हृदय से जुड़ी अन्य बीमारियों के होने का खतरा रहता है।
- हवा में पीएम 2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होनी चाहिए।

वायु प्रदूषण के कारण हर वर्ष दुनिया में 70 लाख लोगों की अकाल मृत्यु होती है, इसमें से लगभग तीन लाख मौतें बाहरी वायु प्रदूषण के कारण होती हैं।

विश्व-स्वास्थ्य-संगठन का कहना है कि प्रदूषण के कारण शहरों में स्ट्रोक, हृदय रोग तथा फेफड़ों के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं. इस प्रदूषण से दमा तथा फेफड़ों की अन्य बीमारियां भी बढ़ रही हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चौकाने वाला तथ्य यह है कि दुनिया के कम तथा मध्यम आय वाले देशों में प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है जबकि उन्नत देशों में प्रदूषण में कमी आ रही है.

⇒ **प्रधानमंत्री वय वंदना योजना**

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को नए अवतार में पेश किया गया है। हालाँकि वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करने से संबंधित इस योजना में ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) नाम से एक नई पेंशन योजना की शुरुआत की है।
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (2014) की तरह ही है, जिसे साल 2014-15 में लॉन्च किया गया था।
- इस स्कीम को सबसे पहले यूनियन बजट 2003-04 (अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल) के दौरान लॉन्च किया गया था।
- भारतीय नागरिक जो कि 60 वर्ष की उम्र से ऊपर के हैं, वो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) में निवेश करने के पात्र हैं।
- यह योजना 10 साल के लिये 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष मासिक देय (8.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष) का निश्चित रिटर्न सुनिश्चित कराती है।
- योजना की खरीदारी के समय पेंशन द्वारा चुनी गई मासिक/तिमाही/अर्द्ध वार्षिक/वार्षिक आवृत्ति के अनुसार 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान हर अवधि के अंत में पेंशन देय है।
- इस योजना को सेवा कर और जीएसटी से छूट दी गई है। इस योजना में स्वयं या पति या पत्नी की किसी भी गंभीर/टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिये समय पूर्व निकासी की अनुमति भी है।समय पूर्व निकासी के मामले में योजना क्रय मूल्य की 98 प्रतिशत राशि वापस की जाएगी।
- 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु पर लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान कर दिया जाएगा।

क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना ?

- पिछले 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग तीन गुनी हो गई है, लेकिन बुजुर्गों की संख्या चार गुना से भी ज़्यादा हो गई है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में बुजुगों की संख्या दोगुनी होने में 100 से अधिक वर्ष लग गए, लेकिन भारत में इनकी संख्या केवल 20 वर्षों में ही दुगुनी हो गई।
- बुढापे से संबंधित समस्याओं की गंभीरता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने इनसे निपटने के लिये कई नीतियाँऔर योजनाएँ बनाई हैं और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना उसी की कड़ी है।
- सरकार वयोवृद्धता से संबंधित मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना सहित वयोवृद्धता के बारे में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये भी प्रतिबद्ध है।

⇒ **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत तीन नए एम्स**

केंद्र सरकार ने **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसयू)** के तहत तीन नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना को मंजूरी दी है। ये संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर, आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी और पश्चिम बंगाल के कल्याणी में स्थापित किए जाएंगे। इन पर 4949 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

प्रमुख बिंदु

- इन नए एम्स की स्थापना राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तौर पर की जाएगी जिसके जरिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- इनमें स्थानीय लोगों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
- इन प्रस्ताविक संस्थानों में कुल 960 बिस्तर की क्षमता वाले अस्पताल होंगे।
- इनमें अध्यापन ब्लॉक, प्रशासनिक ब्लॉक, आयुष ब्लॉक, ऑडिटोरियम नर्सिंग कॉलेज, रैन बसेरा, होस्टल और रिहायशी सुविधाएं भी होंगी।
- आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी एम्स के लिए 1618 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के नागपुर एम्स पर 1577 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल के कल्याणी एम्स के लिए 1754 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- इन एम्स की स्थापना होने से किफायती, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक पहुंच सकेगी तथा अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा।
- इससे इन क्षेत्रों में अच्छी चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध होगी और यहां हेल्थेकेयर प्रोफेशनल्स की कमी भी पूरी होगी।
- इस परियोजना से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र (विदर्भ) और पश्चिम बंगाल और उनके साथ सटे हुए राज्यों को फायदा पहुंचेगा।
- अब तक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 6 नए एम्स शुरू हो चुके हैं। रायबरेली में एम्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि यह स्वीकृति केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2014-15 बजट भाषण में की गई घोषणा के संदर्भ में दी गई है। बजट भाषण में इन स्थानों पर नए एम्स खोलने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा इससे **आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014** के तहत किया गया एक वादा भी पूरा हो सकेगा।

⇒ हरित क्रांति कृषोन्नति योजना

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कृषि क्षेत्र में अम्ब्रेला योजना 'हरित क्रांति कृषोन्नति योजना' (Green Revolution Krishonnati Yojana) को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे यानी 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने की स्वीकृति दे दी है।

इस अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत 11 योजनाएँ/मिशन शामिल हैं।

- इन योजनाओं का उद्देश्य समग्र और वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर तथा उत्पाद पर बेहतर लाभ सुनिश्चित करके किसानों की आय बढ़ाना है।
- ये योजनाएँ 33,269.976 करोड़ रुपए के व्यय के साथ तीन वित्तीय वर्षों यानी 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिये जारी रहेंगी।

इसमें शामिल योजनाएँ

I. बागबानी के एकीकृत विकास के लिये मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture - MIDH)

- 7533.04 करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी।
- इसका उद्देश्य बागबानी उत्पादन बढ़ाकर, आहार सुरक्षा में सुधार करके तथा कृषि परिवारों को आय समर्थन देकर बागबानी क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना है।

II. तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Oil Seeds and Oil Palm - NMOOP) सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission - NFSM)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 6893.38 करोड़ रुपए।
- इसका उद्देश्य देश के चिन्हित ज़िलों में उचित तरीके से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता बढ़ाकर चावल, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज तथा वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना है।
- यह कार्य व्यक्तिगत कृषि स्तर पर मिट्टी की उर्वरता तथा उत्पादकता बहाल करके और कृषि स्तरीय अर्थव्यवस्था बढ़ाकर किया जाएगा।
- इसका एक और उद्देश्य खाद्य तेलों की उपलब्धता को सुदृढ़ बनाना तथा खाद्य तेलों के आयात को घटाना है।

III. सतत् कृषि के लिये राष्ट्रीय मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture - NMSA)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 3980.82 करोड़ रुपए।
- इसका उद्देश्य विशेष कृषि पारिस्थितिकी में एकीकृत कृषि, उचित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी के मेल-जोल से सतत् कृषि को प्रोत्साहित करना है।

IV. एसएमएई (Submission on Agriculture Extension – SMAE)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 2961.26 करोड़ रुपए।

- इसका उद्देश्य राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि द्वारा संचालित विस्तार व्यवस्था को मज़बूत बनाना, खाद्य और आहार सुरक्षा हासिल करना तथा किसानों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण करना है, ताकि कार्यक्रम नियोजन और क्रियान्वयन व्यवस्था संस्थागत बनाई जा सके।
- इसके साथ-साथ विभिन्न हितधारकों के बीच कारगर संपर्क कायम किया जा सके, मानव संसाधन विकास को समर्थन दिया जा सके तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, अंतर व्यक्तिगत संचार और आईसीटी उपायों को नवाचारी बनाया जा सके।

V. बीज तथा पौध रोपण सामग्री पर उप-मिशन (Sub-Mission on Seeds and Planting Material - SMSP)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 920.6 करोड़ रुपए।
- इसका उद्देश्य प्रमाणित/गुणवत्ता संपन्न बीज का उत्पादन बढ़ाना, एसआरआर में वृद्धि करना, कृषि से बचे बीजों की गुणवत्ता को उन्नत करना, बीज प्रजनन श्रृंखला को मज़बूत बनाना, बीज उत्पादन में नए टेक्नोलॉजी और तौर-तरीकों को प्रोत्साहित करना, प्रसंस्करण परीक्षण आदि को बढ़ावा देना है।

VI. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanisation - SMAM)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 3250 करोड़ रुपए।
- इसका उद्देश्य छोटे और मझौले किसानों तक कृषि मशीनीकरण पहुँच में वृद्धि करना, उन क्षेत्रों में कृषि मशीनीकरण बढ़ाना जहाँ कृषि बिजली की उपलब्धता कम है, जमीन के छोटे पट्टे और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण होने वाले आर्थिक नुकसानों की भरपाई के लिये 'कस्टम हायरिंग सेंटरों' को प्रोत्साहित करना, उच्च तकनीकी एवं उच्च मूल्य के कृषि उपकरणों का केंद्र बनाना, प्रदर्शन और क्षमता सृजन गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों में जागरूकता कायम करना, देश भर में स्थापित निर्दिष्ट परीक्षण केंद्रों पर प्रमाणीकरण तथा प्रदर्शन, परीक्षण सुनिश्चित करना है।

VII. पौध संरक्षण और पौधों के अलगाव पर उप-मिशन (Sub Mission on Plant Protection and Plant Quarantine - SMPPQ)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 1022.67 करोड़ रुपए।
- इसका उद्देश्य कीड़े-मकोड़ों, बीमारियों, अनचाहे पौधों, छोटे कीटाणुओं और अन्य कीटाणुओं आदि से कृषि फसलों तथा उनकी गुणवत्ता को होने वाले नुकसान को कम करना है।
- साथ ही, इसके अंतर्गत बाहरी प्रजाति के कीड़े-मकोड़ों के हमलों से कृषि जैव सुरक्षा करने और विश्व बाज़ार में भारतीय कृषि सामग्रियों के निर्यात में सहायता करने और संरक्षण रणनीतियों के साथ श्रेष्ठ कृषि व्यवहारों को प्रोत्साहित करने पर सबसे अधिक बल दिया गया है।

VIII. कृषि गणना, अर्थव्यवस्थाएँ तथा सांख्यिकी पर एकीकृत योजना (Integrated Scheme on Agriculture Census, Economics and Statistics - ISACES)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 730.58 करोड़ रुपए।
- इसका उद्देश्य कृषि गणना करना, प्रमुख फसलों की उपज/लागत का अध्ययन करना, देश की कृषि आर्थिक समस्याओं पर शोध अध्ययन करना, कृषि सांख्यिकी के तौर-तरीकों में सुधार करना और फसल रोपण से लेकर फसल के काटे जाने तक की स्थिति के बारे में आनुक्रमिक सूचना प्रणाली बनाना है।

IX. कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना (Integrated Scheme on Agricultural Cooperation (ISAC)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 1902.636 करोड़ रुपए।

- इसका उद्देश्य सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, कृषि विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, कम्प्यूटरीकरण और कमज़ोर वर्गों के लिये कार्यक्रमों में सहकारी विकास में तेज़ी लाना है।
- साथ ही, इसके अंतर्गत कपास उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिये लाभकारी मूल्य दिलाने तथा विकेंद्रीकृत बुनकरों को उचित दरों पर गुणवत्ता संपन्न रूई की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया है।

X. कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (Integrated Scheme on Agricultural Marketing - ISAM)

- कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 3863.93 करोड़ रुपए।
- इसका उद्देश्य कृषि विपणन संरचना विकसित करना, कृषि विपणन संरचना में नवाचार तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा स्पर्द्धी विकल्पों को प्रोत्साहित करना है।
- कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिये संरचना सुविधा उपलब्ध कराना, राष्ट्रव्यापी विपणन सूचना नेटवर्क स्थापित करना तथा कृषि सामग्रियों के अखिल भारतीय व्यापार के लिये साझा ऑनलाइन बाज़ार प्लेटफॉर्म के ज़रिये बाज़ारों को एकीकृत करना है।

XI. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस (National e-Governance Plan - NeGP-A)

- केंद्र की कुल हिस्सेदारी 211.06 करोड़ रुपए।
- इसका लक्ष्य विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत किसान और किसान केंद्रित सेवाओं को लाना है।
- इस योजना का उद्देश्य विस्तार सेवाओं की पहुँच एवं प्रभाव को बढ़ाना, पूरे फसल चक्र में सूचनाओं और सेवाओं तक किसानों की सेवाओं में सुधार करना, केंद्र/राज्य की वर्तमान आईसीटी पहलों को बढ़ाना, एकीकृत करना, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये किसानों को समय पर प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराकर कार्यक्रमों की क्षमता तथा प्रभाव में वृद्धि करना है।

अन्य प्रमुख बिंदु

- इन योजनाओं/मिशनों का फोकस उत्पादन संरचना सृजन/सुदृढ़ीकरण, उत्पादन लागत में कमी और कृषि तथा संबद्ध उत्पाद के विपणन पर है।
- ये योजनाएँ/मिशन अलग-अलग अवधि के लिये पिछले कुछ वर्षों से क्रियान्वित की जा रही हैं।
- इन सभी योजनाओं/मिशनों को अलग योजना/मिशन के रूप में अवगत कराया गया और स्वतंत्र रूप से स्वीकृत किया गया।
- वर्ष 2017-18 में इन सभी योजनाओं/मिशनों को एक अम्ब्रेला योजना, 'हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना' के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया गया।

⇒ **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना**

भारत सरकार ने लड़कियों को बचाने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें शिक्षा देने के लिए **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना** की शुरूआत की है। इसका उद्देश्य देशभर में जन अभियान के माध्यम से बदलती हुई सामाजिक मानसिकता को लक्ष्य करके और इस विषम विषय पर जागरूकता का निर्माण करते हुए **बाल लिंगानुपात** में आ रही गिरावट का समाधान करना है। योजना का केंद्रित हस्तक्षेप बाल लिंगानुपात औसत वाले 100 जिलों में विभिन्न क्षेत्रवार कार्रवाइयों पर होगा।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत **100 जिलों के चयन/पहचान का तरीका/नियम** निम्न प्रकार होगा:

- 23 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 918 की राष्ट्रीय औसत से कम बाल लिंग औसत वाले 8 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से 87 जिले चुने जाएंगे।

- 918 से ऊपर परंतु गिरावट का रूझान दर्शा रहे 8 जिले चुने जाएंगे।
- 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से बाल लिंगानुपात औसत राष्ट्रीय औसत 918 से अधिक और इसमें बढ़ोत्तरी का रूझान वाले 5 जिले चुने जाएंगे।
- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन कल्याण मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रवार हस्तक्षेपों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**: आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भावस्था के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना; भागीदारों को प्रशिक्षित करना; सामुदायिक लामबंदी और संवेदीकरण; अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं और संस्थानों को मान्यता और पुरस्कार देना।
2. **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** : गर्भधारण पूर्व और जन्मपूर्व जांच तकनीकों का निगरानी क्रियान्वयन कानून 1994; अस्पतालों में प्रसव को बढ़ोत्तरी; जन्म पंजीकरण; पीएनडीटी सेल को मजबूत करना; निगरानियों समितियों का गठन।
3. **मानव संसाधन विकास मंत्रालय** : लड़कियों का सर्वजनीय पंजीकरण; ड्रॉप आउट दर में कमी लाना; विद्यालयों में लड़कियों के अनुरूप मानक बनाना; शिक्षा के अधिकार अधिनियम का सख्ती से क्रियान्वयन करना; लड़कियों के लिए सुचारू शौचालयों का निर्माण।

जब से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना पारित हुई है, अभी तक राज्यों को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

⇒ **राज्य सभा के नियमों में परिवर्तन हेतु समिति का गठन**

- राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 07 मई 2018 को सदन के नियमों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव करने और विशेष रूप से सदन की कार्यवाही में जानबूझ कर बाधा डालने वाले सदस्य के स्वत.निलंबन का प्रावधान करने के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की है :
- उच्च सदन का कामकाज बेहतर ढंग से चलाने के उद्देश्य से नियमों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव करने का फैसला किया गया हैयह समिति सांसदों एवं विशेषज्ञों से बात करके तथा विभिन्न देशों के सदनों . .के नियमों का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें देगी

✸ **समिति का स्वरूप**

- ❖ समिति की अध्यक्षता राज्यसभा पूर्व महासचिव वी के अग्निहोत्री करेंगे और उसमें विधि मंत्रालय के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव आर एस धलेता भी शामिल होंगे.
- ❖ यह समिति दो भागों में रिपोर्ट पेश करेगी और पहली रिपोर्ट तीन महीने में दे देगी.
- ❖ समिति की सिफारिशें सदन की नियम संबंधी समिति के पास भेजी जाएगी जो राजनीतिक दलों एवं सांसदों से विचार विमर्श के बाद सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

⇒ **नियमों में बदलाव की आवश्यकता क्यों?**

- बजट सत्र के दूसरे में चरण में हंगामे के कारण कोई कामकाज नहीं हो पाया थाइसी के मद्देनज़र नियमों . लोकसभा की .निलंबन का प्रावधान किया जा रहा है :वालों के खिलाफ स्वत में बदलाव करने हंगामा करने तरह, सदन में सभापति के आसन के पास आकर बारनिलंबन का :बार हंगामा करने वाले सदस्यों के स्वत- .प्रावधान फिलहाल राज्यसभा में नहीं है

- **राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां**
    - ❖ लोकसभा के साथसंविधान के द्वारा .धि निर्माण सम्बन्धी कार्य करती हैसाथ राज्यसभा भी वि-अवित्तीय विधेयको के सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की गई हैं.

    - ❖ संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब संसद के दोनों सदनों द्वारा अलगअलग अपने - तिहाई बहुमत से पारित -मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं कर दियाजाए.

    - ❖ लोकसभा से स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जायेंगे, जिसके द्वारा अधिक से 14 अधिक दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा अनुच्छेद .249 के अनुसार, राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से राज्यसूची के किसी-विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है.

⇒ **सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने हेतु विशेष काडर बनाया जायेगा**

- सेना में महिलाओं के लिए एक विशेष कैडर का निर्माण कर उन्हें कई क्षेत्रों में स्थायी कमीशन देने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है .महिलाओं को लड़ाकू भूमिका छोड़कर बाकी भूमिकाओं में स्थायी कमीशन दिया जायेगा.
- सेना की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि साइबर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सैन्य पुलिस कोर और सेवा चयन बोर्ड में विभिन्न पदों सहित कई क्षेत्रों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने पर विचार किया जा रहा है.

- **सेना में महिलाओं की वर्तमान स्थिति**
    - ❖ इस समय सेना महिलाओं को केवल सेना शिक्षा कोर और न्यायाधीश महाधिवक्ता (एईसी) सेना में अधिकतर महिलाओं की भर्ती शॉर्ट सर्विस .विभाग में ही स्थायी कमीशन देती है (जेएजी) अधिकारियों के रूप में हो (एसएससी) कमीशनती है और उनका कार्यकाल अधिकतम 14 साल का होता है. वायुसेना में महिलाएं पहले ही लड़ाकू पायलट की भूमिका में आ चुकी हैं, जिसे सबसे महत्वपूर्ण स्थिति के तौर पर देखा जाता है जबकि सेना में महिलाएं अभी महत्वपूर्ण पदों पर नहीं दिखती हैं.
    - ❖ महिलाओं को सेना में समान अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 2008-09 में नौसेना कंस्ट्रक्टर काडर तथा एजुकेशन ब्रांच की शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स बैच से सात महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने की स्वीकृति दी गई.
- **स्थायी कमीशन क्या है?**
    - ❖ सेना में स्थायी कमीशन का अर्थ है कि उक्त अधिकारी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक वह सेवानिवृत न हो जायेस्थायी कमीशन के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे ., राष्ट्रीय सेना अकादमी देहरादून अथवा ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी .ज्वाइन करना होता है गया को -
    - ❖ यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही सेना में स्थायी कमीशन मिलता हैराष्ट्रीय रक्षा अकादमी . से पास होने के उपरांत, सेना के कैडेट्स को उनके चयन के अनुसार भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून; नौ सेना के कैडेट्स को भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला और वायु सेना के कैडेट्स को वायु सेना अकादमी, हैदराबाद में भेज दिया जाता है.
- **भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए**

❖ भारत ने 08 मई 2018 को राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए यह धनराशि .0-6 साल के आयु वर्ग में बौनापन को कम करने के भारत सरकार के लक्ष्य वर्ष 2022 तक 38.4 प्रतिशत को कम करके 25 प्रतिशत करने में सहायता प्रदान करेगी.

⇒ **राष्ट्रीय पोषण मिशन करेगा क्या है और ऋण इसका मदद कैसे (पोशन अभियान)?**

- राष्ट्रीय पोषण मिशन को पोशन अभियान भी कहा जाता हैपोषण अभियान का मुख्य तत्व व .िश्व बैंक द्वारा सहायता वाली एकीकृत बाल विकास सेवा को मजबूत करना तथा बेहतर (आईसीडीएस) .पोषण परियोजना को देश के सभी जिलों में लागू करना है
- प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को झूंझुनू, राजस्थान में पोषण अभियान को लांच किया था.
- यह अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 315 जिलों में चलाया जाएगा.
- आईसीडीएस योजना के तहत स्तनपान कराने वाली महिला तथा 3 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान किया जाता है.

✸ **राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य (एनएनएम)**

❖ राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य बौनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता छोटे बच्चों), महिलाओं एवं किशोरियों में को कम करना तथा प्रति वर्ष अल्पवजनी बच्चों में (2 प्रतिशत की कमी लाना है.

❖ बौनापन को कम करने का लक्ष्य भी 2 प्रतिशत है, मिशन वर्ष 2022 तक 38.4% (एनएफएचएस-4) से कम कर के 25% तक लाने का प्रयास करेगा.

❖ इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होगा.

❖ यह सभी राज्यों और जिलों को चरणबद्ध रूप से कवर किया जाएगा, जबकि वर्ष 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले एवं वर्ष 2019-20 में शेष जिलों को शामिल किए जाएंगे.

⇒ **राष्ट्रीय पोषण मिशन :के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र (एनएनएम)**

➢ इस परियोजना में पोषण आधारित सभी योजनाओं को शामिल कर दिया जाएगा तथा प्रदर्शन के आधार पर राज्यों, समुदायों, स्वास्थ्य कर्मियों आदि को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा.

➢ यह कार्यक्रम लक्ष्यों के माध्यम से बौनापन, अल्पपोषण, रक्त की कमी और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों के स्तर में कमी लाने का प्रयास करेगा.

➢ महिलाओं को 1000 कैलोरी तथा बच्चों को 600 कैलोरी उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है.

➢ इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु भोजन की पोषकता, स्तनपान के माध्यम से स्थायी समाधान, आहार विविधीकरण, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, निगरानी को उच्चस्तरीय बनाना आदि उपायों पर ज़ोर दिया गया है.

✸ **पृष्ठभूमि:**

❖ राष्ट्रीय पोषण मिशन के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के साथ ही उनके लिए लक्ष्य निर्धारण में मदद मिलेगी.

✸ **नीति आयोग और गूगल ने देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किये (एआई)**

❖ नीति आयोग और गूगल ने 07 मई 2018 को देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए (एआई) .क्षर कियेआशय पत्र पर हस्ता

- इसके लिए नीति आयोग की सलाहकार अन्ना रॉय और गूगल के भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के उपाध्यक्ष राजन आनंदन ने एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर कियेनीति आयोग इस अवसर पर . के मुख्य कार्यकारी अधिकारी .अमिताभ कांत भी उपस्थित थे (सीईओ)

- **उद्देश्य:**
  - भारत की उदीयमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पारिस्थितिकी तंत्र (एमएल) और मशीनी ज्ञान (एआई) से नीति आयोग और गूगल कई पहलों पर एक साथ काम करेगाको बढ़ावा देने के उद्देश्य, जिससे देश में एआई पारिस्थितिक तंत्र निर्मित करने में मदद मिलेगी.
  - प्रशिक्षण, हेकेथॉन, स्टार्टअप के लिए सलाह देने और अनुसंधान अनुदान प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा.
- **नीति आयोग और गूगल द्वारा संयुक्त पहल**
  - गूगल के साथ नीति आयोग की साझेदारी से कई प्रशिक्षण पहलें शुरू होगी, स्टार्टअप को समर्थन मिलेगा और पीएचडी छात्रवृत्ति के माध्यम से एआई अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा.
  - इनसे तकनीकी रूप से सशक्त नये भारत के महान दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी.
  - नीति आयोग को एआई जैसी प्रौद्योगिकियां विकसित करने और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
  - इस जिम्मेदारी पर नीति आयोग राष्ट्रीय डाटा और एनालिटिक्स पोर्टल के साथ एआई पर राष्ट्रीय कार्य नीति विकसित कर रहा है, ताकि व्यापक रूप से एआई का उपयोग किया जा सके.
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता देश में व्यवसाय करने के तरीके को बदलने जा रही हैविशेष रूप से देश की . रूप से एआई का उपयोग किया सामाजिक और समावेशी भलाई के लिए नवाचारों में विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने .जाएगा, शिक्षा में सुधार लाने, हमारे नागरिकों के लिए अभिनव शासन प्रणाली विकसित करने और देश की समग्र आर्थिक उत्पादकता में सुधार के लिए देश मशीनी ज्ञान और एआई जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों को स्वीकार कर रहा है.

⇒ **भारत के लिए ईरान समझौते से अमेरिका की वापसी के मायने**

- **चर्चा में क्यों?**
  - हाल ही में अमेरिका ने ईरान के साथ एक परमाणु समझौते से स्वयं को अलग कर लिया है। इसका कहना है कि इस समझौते में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, 2025 के अलावा परमाणु गतिविधियों तथा यमन और सीरिया में जारी संघर्षों में इसकी भूमिका को शामिल नहीं किया था।
- **क्या है वो परमाणु समझौता जिसे अमेरिका ने रद्द कर दिया है?**
  - आधिकारिक तौर पर इसे संयुक्त कार्रवाई व्यापक योजना)Joint Comprehensive Plan Of Action-JCPOA) तथा अनौपचारिक रूप से 'ईरान परमाणु समझौता' कहा जाता है।
  - वियना में 14 जुलाई, 2015 को ईरान तथा P5 (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यअमेरिका -, चीन, फ्रांस, रूस तथा ब्रिटेनसाथ जर्मनी एवं यूरोपीय संघ द्वारा -के साथ (इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।

- ❖ इस समझौते का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था, जिसमें इसके परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगाने के बदले में तेहरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाना शामिल था।

✸ **इस समझौते पर अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ भारत ने कैसे जवाब दिया है?**

- ❖ भारत इस समझौते के प्रति बहुत बड़ा समर्थक रहा है। भारत ने हमेशा यह प्रतिबद्धता जाहिर की है कि ईरान के परमाणु मसले को वार्ता तथा कूटनीति के द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से हल किया जाना चाहिये। भारत का कहना है कि सभी पार्टियों को ईरान परमाणु समझौते से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिये सक्रिय रूप से एक साथ आना चाहिये।

✸ **यह कथन बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं पर भारत की स्थिति के साथ किस प्रकार तालमेल बैठाता है?**

- ❖ भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमआधारित कार्यविधि का एक सक्रिय समर्थक रहा है।-
- ❖ ट्रंप द्वारा जून, 2017 में समझौते से अमेरिका के अलग होने की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद भारत ने दक्षिण चीन सागर और पेरिस जलवायु समझौता, 2015 पर अपनी प्रतिबद्धता को दुहराया।
- ❖ हालाँकि, नई दिल्ली ने ट्रंप की इस घोषणा के बाद कि अमेरिका इजरायल में अपने दूतावास को यरूशलेम में स्थानांतरित करेगा और उस शहर को देश की राजधानी के रूप में पहचान देगा, पर भी अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया था।
- ❖ ईरान समझौते से अमेरिका के अलग होने पर, भारत वर्तमान में अपने दांवों को छुपा रहा है; हालाँकि, नई दिल्ली, जो हाल ही में तीन बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण शासनों)MTCR, वासनेर व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूहका सदस्य बनी है (, यदि परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह)NSG) में भी शामिल होना चाहती है, तो JCPOA के प्रति प्रतिबद्धता की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति से उसे यूरोपीय, विशेष रूप से फ्रांस से मदद मिलेगी।
- ❖ फ्रांस की तरह, अमेरिका भी भारत की NSG सदस्यता की दावेदारी का एक मजबूत समर्थक है।

✸ **ऊर्जा व्यापार पर भारत के लिये अनुमान क्या है?**

- ❖ इराक तथा सऊदी अरब के बाद ईरान भारत के लिये तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्त्ता है, जिसने 2017-18 के वित्तीय वर्ष में भारत को प्रथम 10 माह अप्रैल), 2017 से जनवरी 2018 तक में (18.4 मिलियन टन कच्चे तेल की आपूर्ति की।
- ❖ 2010-11 तक ईरान भारत के लिये दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्त्ता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण यह एक स्थान नीचे आ गया।
- ❖ 2013-14 तथा 2014-15 में भारत ने ईरान से क्रमशः 11 मिलियन टन तथा 10.95 मिलियन टन तेल खरीदा। उसके आगे आने वाले साल में यह बढ़कर 12.7 मिलियन टन तथा 2016-17 में बढ़कर 27.2 मिलियन टन हो गया।

✸ **क्या ईरान के चाबहार में भारत द्वारा किये जाने वाले रणनीतिक निवेश को कोई खतरा है?**

- ❖ यह भारत के लिये वित्तीय तथा रणनीतिक दोनों प्रकार का निवेश है।
- ❖ पिछले तीन सालों में चाबहार पर भारत तथा ईरान के बीच के संबंधों में तेजी आई है तथा यह कार्य जुलाई तक पूरा होने और भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाने की संभावना है।
- ❖ हालाँकि, यह निर्धारित तिथि दबाव में आ सकती है शायद साल के अंत तक इसको बढ़ाया) यदि अमेरिकी स्वीकृति चाबहार में आधारभूत संरचना के विकास पर प्रहार (जा सकता है करती है।

- ❖ यदि इस समझौते के अन्य हस्ताक्षरकर्त्ता इस पर कायम रहते हैं तो भारत के पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं । यदि चाबहार परियोजना धीमी होती है तो इसके परिणामस्वरूप ट्रंप प्रशासन के निवेदन पर शुरू की गई अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण प्रक्रिया में भारत द्वारा दी जाने वाली 1 बिलियन डॉलर की सहायता तथा 100 छोटी परियोजनाओं पर किया जाने वाला कार्य भी प्रभावित होगा।
- ❖ चाबहार भारत के हित के लिये महत्त्वपूर्ण होने के साथसाथ इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि - का विकास कर ईरान चीन जैसे अन्य देशों जो कि पहले से ही पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह रहा है, को भी यह बंदरगाह प्रस्तावित कर रहा है।

★ **पश्चिम एशिया में विशेष रूप से भारतीय दृष्टिकोण से क्या प्रभाव हो सकता है?**

- ❖ ईरान को लक्षित करने के लिये ट्रंप की चाल और इसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों सऊदी अरब और इज़राइल के साथ, इस क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है, जहाँ 8 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं और काम करते हैं। पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव ने अतीत में भी भारत को अपने नागरिकों को वहाँ से हटाने के लिये विवश किया है; हालाँकि ऐसा करने के लिये नई दिल्ली की क्षमता सीमित है।

⇒ **ट्रंप के इस कदम के भारतअमेरिका संबंधों के लिये क्य-ा मायने हैं?**

- ❖ ट्रंप के अनुसार यह संबंध यह केवल लेनदेन वाला रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के प्रति सख्त रहा - है, लेकिन इसने भारत को चीन पर नजर रखने के साथप्रशांत क्षेत्र में सक्रिय रहने के -साथ हिंद- लिए कहता रहा है।
- ❖ हालाँकि, इन दोनों स्थितियों में हितों की ही पूर्णता रही है, भारतीय प्रतिष्ठान हिंदप्रशांत रणनीति - के प्रति अधिक प्रतिबद्ध रहा है।
- ❖ इसके अलावा रूस के साथ अपने संबंधों के चलते भारत और अमेरिका के बीच दूरियाँ बढ़ी हैंनई - ईरान रणनीति विश्व के सबसे बड़ी तथा प्राचीन दिल्ली इन असहमतियों के प्रति सजग है तथा लोकतंत्र के बीच इस की स्थिरता का परीक्षण करेगा। "रणनीतिक साझेदारी"

★ **भारतईरान संबंध का भविष्य कैसा होगा-?**

- ❖ इन दोनों देशों के बीच अपने संबंधों को स्थिर तथा मजबूत बनाए रखने के लिये रणनीतिक महत्त्व है तथा प्रतिबंधों के बावजूद वे इन संबंधों को बनाए रखना चाहेंगे।
- ❖ कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को रुपयारियाल व्यापार प्रक्रिया तथा दोनों देशों के - बीच धन के प्रवाह तथा आय को बनाए रखने के लिये भारत में ईरानी बैंकों की स्थापना जैसे विकल्पों की तरफ ध्यान देना चाहिये।
- ❖ वर्तमान संकट नई दिल्ली तथा तेहरान को भविष्य में भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के उद्देश्य से योजना बनाने के लिये विवश कर सकता है।

⇒ **इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देंगे भारत और अंगोला**

★ **चर्चा में क्यों?**

- ❖ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिये भारत और अंगोला के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया।

- **उद्देश्य**

  - इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिये मानव संसाधन विकास, सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सॉफ्टवेयर उद्योग, टेली मेडिसिन आदि के क्षेत्रों में निकट सहयोग को बढ़ावा देना है।

- **पृष्ठभूमि**

  - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)Ministry of Electronics and Information Technology - MeitY), सहयोग के द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय फ्रेम वर्क के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी)Information and Communications Technology - ICT) के क्षेत्र में आसन्न एवं अग्रणी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये अनिवार्य है।

  - MeitY ने ICT के क्षेत्र में निकट सहयोग एवं सूचना के आदानप्रदान को बढ़ावा देने के लिये - दित एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन एवं करार निष्पा/ देशों के समकक्ष संगठनोंविभिन्न किये हैं।

  - विभिन्न देशों के साथ सहयोग को और बढ़ावा देने, विशेषकर 'डिजिटल इंडिया', 'मेक इन इंडिया' आदि जैसी भारत सरकार की विभिन्न नई पहलों के विशेष मद्देनज़र इसको और बढ़ावा देना है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हितों के दृष्टिगत व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने की ज़रूरतों में वृद्धि हुई है।

  - MeitY ने ईगवर्नेंस-, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिये मानव संसाधन विकास, सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सॉफ्टवेयर उद्योग, टेली मेडिसिन आदि जैसे ICT क्षेत्रों में केन्द्रीयकृत सहयोग के लिये एक विस्तृत समझौता ज्ञापन किया है।